न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर–प्रथम, जयपुर

पंचायत निगरानी संख्याः 65/2019 **GCMS No.—2019/00156**

1. छोट्या पुत्र श्रीनारायण
2. लाली पत्नी छोट्या
3. गणेश पुत्र छोट्या नाबालिग जरिये प्राकृतिक संरक्षक पिता छोट्या
4. मंगल पुत्र छोट्या नाबालिग जरिये प्राकृतिक संरक्षक पिता छोट्या
5. नेमीचन्द पुत्र दाना
6. सरिता पत्नी नेमीचन्द
7. संदीप पुत्र नेमीचन्द
8. सनमत पुत्र नेमीचन्द
9. प्रीति पुत्री नेमीचन्द जरिये प्राकृतिक संरक्षक पिता नेमीचन्द
10. मुकेश पुत्र दाना
11. लक्ष्मी पत्नी मुकेश
12. मनीष पुत्र मुकेश
13. खुशी पुत्री मुकेश जरिये प्राकृतिक संरक्षक पिता मुकेश
14. आशा पुत्री दाना पत्नी गोवर्धन
15. हेमन्त भाटी पुत्र श्रीमति आशा पत्नी गोवर्धन
16. दीपक पुत्र श्रीमती आशा पत्नी गोवर्धन
17. अनिता पुत्री दाना पत्नी नन्दलाल
18. करण पुत्र श्रीमती अनिता पत्नी नन्दलाल
19. अर्जुन पुत्र अनिता पत्नी नन्दलाल जरिये प्राकृतिक संरक्षक माता अनिता
20. सोनी योगी पुत्री दाना पत्नी राकेश
21. प्रियांशु पुत्री श्रीमती सोनी पत्नी राकेश
22. केशू पुत्र श्रीमती सोनी पत्नी राकेश जरिये प्राकृतिक संरक्षक एवं माता सोनी
23. विमला योगी पुत्री दाना पत्नी नन्छू
24. निखिल पुत्र श्रीमति विमला पत्नी नन्छू
25. निशा पुत्री श्रीमती विमला पत्नी नन्छू जरिये प्राकृति संरक्षक एवं माता विमला
26. नाथी पत्नी स्व. लाद्या
27. सूजा पत्नी स्व. नारायण
28. दुला पुत्र श्री भैरू
29. कंचन पत्नी दुला
30. दीपक योगी पुत्र दूला आयु 12 वर्ष
31. विष्णु पुत्र दूला
32. पूनम पुत्री दुला जरिये प्राकतिक संरक्षक एवं पिता दुला
33. गिरधारी पुत्र स्व0 लाद्या

समस्त निवासी ग्राम टीलावाला जगतपुरा सांगानेर जिला जयपुर जरिये मुख्त्यारआम मधू यादव पुत्री श्री हुक्मचन्द यादव निवासी डी–123, बापू नगर, कृष्णा मार्ग, सिवाड एरिया, जयपुर।

...निगरानीकर्ता

बनाम

1. ग्राम पंचायत जगतपुरा जरिये हाल नगर निगम सांगानेर, जिला जयपुर
2. मोहन लाल शर्मा पुत्र श्री रामप्रताप शर्मा जाति ब्राहम्ण, निवासी ग्राम टीलावाला, जगतपुरा, तहसील सांगानेर, जिला जयपुर।
3. राजस्थान आवासन मण्डल जरिये सचिव पता लालकोठी विधानसभा के पास, जयपुर।

...गैर निगरानीकार

निगरानी अर्न्तगत धारा 97 पंचायती राज अधिनियम 1994 विरूद्व पट्टा संख्या 11/7/88–89 दिनांक 08.04.1988 जो ग्राम पंचायत जगतपुरा, तहसील सांगानेर, जिला जयपुर द्वारा विपक्षी संख्या 2 के हक में जारी किया गया।

अतिरिक्त कलक्टर (प्रथम)
जयपुर

उपस्थितः–

1. श्री सुनील शर्मा एवं सी.पी. बलाई अधिवक्ता निगरानीकार की ओर से।
2. श्री राजेश कुमार गुर्जर अधिवक्ता गैर निगरानीकार संख्या 1 की ओर से।
3. श्री भागचन्द भारद्वाज अधिवक्ता गैर निगरानीकार संख्या 3 की ओर से।

पंचायत निगरानी संख्याः 01/2020 GCMS No.—2020/00001

राजस्थान आवासन मण्डल जरिये आवासीय अभियंता खण्ड 12, पता– 110ए/13, कुम्भा मार्ग, पोस्ट ऑफिस के पास, प्रताप नगर, जयपुर।

...निगरानीकर्ता

बनाम

1. मोहन लाल शर्मा पुत्र श्री रामप्रताप शर्मा जाति ब्राहम्ण, निवासी ग्राम टीलावाला, जगतपुरा, तहसील सांगानेर, जिला जयपुर।
2. जयपुर नगर निगम जरिये उपायुक्त जोन सांगानेर, दीनदयाल उपाध्याय भवन, लालकोठ, टोंक रोड, जयपुर।
3. छोट्या पुत्र श्रीनारायण, लाली पत्नी छोट्या, वगै 33 जरिये मुख्त्यारआम मधू यादव पुत्री श्री हुक्मचन्द यादव, निवासी– डी–123, बापू नगर, कृष्णा मार्ग, सिवाड एरिया, जयपुर।

...गैर निगरानीकार

निगरानी अर्न्तगत धारा 97 पंचायती राज अधिनियम 1994

उपस्थितः–

1. श्री भागचन्द भारद्वाज अधिवक्ता निगरानीकर्ता की ओर से।
2. श्री राजेश कुमार गुर्जर अधिवक्ता गैर निगरानीकार संख्या 2 की ओर से।
3. श्री सुनील शर्मा एवं सी.पी. बलाई अधिवक्ता गैर निगरानीकार संख्या 3 की ओर से।

न्यायालय अतिरिक्त कलक्टर (प्रथम) जयपुर

निर्णय दिनांकः 17.05.2022

निगरानीकर्ता ने यह निगरानी ग्राम पंचायत जगतपुरा, तहसील सांगानेर द्वारा गैर निगरानीकार मोहनलाल शर्मा पुत्र श्री रामप्रताप शर्मा जाति ब्राहम्ण, निवासी ग्राम टीलावाला, जगतपुरा, तहसील सांगानेर, जिला जयपुर के पक्ष में आदेश दिनांक 08.04.1988 द्वारा पट्टा संख्या 11/7/88–89 जारी किया गया, से असंतुष्ट होकर दिनांक 03.10.2019 को इस न्यायालय में प्रस्तुत की है। निगरानी प्रस्तुत होने पर पत्रावली दर्ज रजिस्टर की जाकर नोटिस विपक्षीगण जारी करने तथा निगरानीधीन आदेश से सम्बन्धित पत्रावली तलब करने के आदेश दिये गये। उपायुक्त नगर निगम जोन सांगानेर की ओर से अधिवक्ता श्री राजेश कुमार गुर्जर उपस्थित आये। गैर निगरानीकार मोहनलाल शर्मा की ओर से अधिवक्ता श्री नरेन्द्र यादव उपस्थित आये, दौराने बहस अनुपस्थित। राजस्थान आवासन मण्डल जरिये आवासीय अभियंता की ओर से अधिवक्ता श्री भागचन्द भारद्वाज उपस्थित आये। अधीनस्थ ग्राम पंचायत द्वारा जारी मूल पट्टा पत्रावली अप्राप्त है। निगरानीधीन पट्टे के विरूद्व राज. आवासन मण्डल द्वारा पृथक से निगरानी 01/20 पेश की गयी है, निगरानीधीन पट्टे के संबंध में पूर्व में निगरानीकारान छोट्या, लाली वगै 33 जरिये मुख्त्यारआम मधु यादव निगरानी संख्या 65/19 पेश की गयी गयी जिसमें राज. आवासन मण्डल भी पक्षकार है। अतः प्रिसिंपल ऑफ नेचुरल जस्टिस के सिद्वान्त अनुसार एक ही निगरानीधीन पट्टे के विरूद्व पेश की गयी उक्त दोनो पत्रावलियों में एक साथ बहस उपस्थित अभिभाषकगण सुनी गई।

अतिरिक्त कलक्टर (प्रथम) जयपुर

छोट्या, लाली वगै 33 जरिये मुख्त्यारआम मधु यादव के सुयोग्य अधिवक्ता ने दौराने बहस निवेदन किया कि निगरानीकर्ता/छोट्या, लाली वगै0 33 की खातेदारी काश्त की भूमि गत खसरा नंबर 289 रकबा 20 बीघा 8 बिस्वा जिसके हाल खसरा नंबर 402 लगायत 420, 422, 423, 437/247 कुल किता 22 कुल रकबा 5.12 हैक्टेयर वाके ग्राम टीलावाला तहसील सांगानेर में स्थित है। जिसे राजस्थान आवासन मण्डल द्वारा दिनांक 07.10.1986 को अधिग्रहित करने हेतु अधिसूचना जारी की गई थी। जिसमें वर्तमान में आज भी निगरानीकारान छोट्या, लाली वगै. 33 का भौतिक कब्जा चला आ रहा है। निगरानीधीन पट्टाधारी द्वारा ग्राम पंचायत जगतपुरा से मिलीभगत कर वास्तविक तथ्यो को दरकिनार करते हुए पंचायती राज प्रावधानो के विपरीत जाकर नियम विरूद्ध कृषि भूमि में पट्टा संख्या 11/7/88–89 दिनांक 08.04.1988 क्षेत्रफल 495 वर्गगज जारी करवा लिया जो खारिज किये जाने योग्य है। ग्राम पंचायत को छोट्या, लाली वगै. 33 (निगरानीकारान) की खातेदारी कृषि भूमि में से मोहनलाल शर्मा पुत्र श्री रामप्रताप शर्मा, जाति ब्राहम्ण निवासी ग्राम टीलालवाला को पट्टा दिये जाने का अधिकार नहीं था। ग्राम पंचायत जगतपुरा द्वारा विवादित पट्टा जारी करते समय निगरानीकर्ता को सुनवाई का कोई अवसर नहीं दिया गया। दिनांक 11.08.2019 को गैर निगरानीकार मोहनलाल शर्मा द्वारा विवादित भूमि पर निर्माण करने हेतु आये तब निगरानीकर्ता को विवादित पट्टे की जानकारी हुई। उक्त पट्टे की जानकारी हेतु कार्यालय उपायुक्त जोन नगर निगम जयपुर के यहां दिनांक 13.08.2019 को सूचना के अधिकार के तहत सूचना चांही जाने पर कार्यालय उपायुक्त नगर निगम जोन सांगानेर ने अवगत कराया कि कार्यालय में उपलब्ध ग्राम पंचायत जगतपुरा की पट्टा भूमि बुकों में गैर निगरानीकार के हक में जारी किये गये पट्टे का रिकॉर्ड अनुपलब्ध है। जिसके पश्चात विवादित पट्टे के विरूद्व निगरानीकर्तागण छोट्या, लाली वगै. 33 द्वारा जरिये मुख्त्याआरआम निगरानी माननीय न्यायालय को पेश की है। अतः निगरानीकर्ता द्वारा प्रस्तुत निगरानी स्वीकार की जाकर ग्राम पंचायत जगतपुरा द्वारा गैर निगरानीकार मोहनलाल शर्मा के हक में जारी पट्टा संख्या 11/7/88–89 दिनांक 08.04.1988 निरस्त फरमाया जावे।

विद्वान अभिभाषक उपायुक्त नगर निगम जोन सांगानेर ने अधिवक्ता निगरानीकर्ता कथनो पर सहमति व्यक्त करते हुए कथन किया कि नगर निगम जोन सांगानेर में गैर निगरानीकार के हक में ग्राम पंचायत जगतपुरा द्वारा जारी पट्टे से संबंधित रिकॉर्ड उपलब्ध नहीं है। निगरानीकर्ता द्वारा प्रस्तुत निगरानी में न्यायोचित आदेश फरमाया जावे।

विद्वान अभिभाषक राजस्थान आवासन मण्डल जयपुर ने अपनी लिखित बहस में अंकित तथ्यो को दोहराते हुए कथन किया कि ग्राम पंचायत जगतपुरा द्वारा गैर निगरानीकार के हक में जारी पट्टा विधि विरूद्व होने से अपास्त किये जाने योग्य है।

राज्य सरकार की नगरीय व आवासन विभाग राजस्थान जयपुर की ओर से राजस्थान आवासन मण्डल द्वारा ग्राम टीलावाला तहसील सांगानेर स्थित खसरा नंबर 289 रकबा 20 बीघा 8 बिस्वा कृषि भूमि की आवाप्ति हेतु विज्ञप्ति राजस्थान राज पत्र में दिनांक 02.08.1990 को प्रकाशित की गयी, तत्पश्चात आवासन विभाग द्वारा केन्द्रीय भूमि अवाप्ति अधिनियम की धारा 6 की अधिसूचना दिनांक 12.12.1991 को जारी की गयी जिसका प्रकाशन राजस्थान राजपत्र में दिनांक 26.03.1992 को किया गया। जिसके पश्चात खसरा नंबर 289 के खातेदारो/काश्तकार को जरिये वाद संख्या 7/90/86 के अवाप्तिधीन भूमि रकबा 20 बीघा 8 बिस्वा का मुआवजा निर्धारित करते हुए सभी हितधारियो को अवार्ड की प्रति सहित सूचित किया गया। अवाप्ति की कार्यवाही के पश्चात वर्तमान में राजस्थान आवासन मण्डल राजस्व रिकॉर्ड में ग्राम टीलावाला स्थित भूमि गत खसरा नंबर 289 के रिकॉडेड खातेदार है एवं उक्त भूमि पर आवासन मण्डल काबिज है। खसरा नंबर 289 की समस्त भूमि पर राजस्थान आवासन मण्डल की प्रताप नगर आवासीय योजना हेतु अवाप्त कर सेक्टर–23 के रूप में विकसित भी कर दी गयी है। छोट्या, लाली वगै. 33 जरिये मुख्त्यारआम मधु यादव द्वारा गलत तथ्य पेश कर माननीय न्यायालय में निगरानी पेश की गयी है। राजस्थान आवासन मण्डल द्वारा जरिये कब्जा फर्द के भूमि प्राप्त की गयी है। ग्राम पंचायत को कृषि भूमि जो वर्तमान में राजस्थान आवासन मण्डल द्वारा अवाप्त की जा चुकी है में पट्टा दिये जाने का कोई अधिकार नहीं है। अतः राज. आवासन मण्डल द्वारा पृथक से पेश की गयी निगरानी स्वीकार की जाकर ग्राम पंचायत जगतपुरा द्वारा आदेश दिनांक 08.04.1988 द्वारा गैर निगरानीकार के हक में जारी पट्टा संख्या 11/7/88–89 निरस्त फरमाया जावे एवं छोट्या, लाली वगै. 33 जरिये मुख्त्यारआम मधु यादव के पक्ष में किसी प्रकार का आदेश पारित नहीं किया जाकर छोट्या, लाली वगै. 33 जरिये मुख्त्यारआम मधु यादव द्वारा प्रस्तुत निगरानी खारिज की जावे।

विद्वान उभय पक्ष अभिभाषक की बहस सुनी गई। पत्रावली का तथा पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात आदि का आद्योपान्त अवलोकन किया तथा सम्बन्धित कानून के परिपेक्ष्य में गम्भीरता पूर्वक मनन किया गया। उपायुक्त नगर निगम जोन सांगानेर से प्राप्त पत्र अनुसार ग्राम पंचायत जगतपुरा द्वारा जारी निगरानीधीन पट्टा पत्रावली नगर निगम कार्यालय जोन सांगानेर में अनुपलब्ध होने के कारण पट्टा पत्रावली अप्राप्त है। ऐसी स्थिति में निगरानी का निस्तारण गुणावगुण के आधार पर किया जाना न्यायोचित है। निगरानीकर्ता छोट्या, लाली वगै. 33 जरिये मुख्त्यारआम मधु यादव द्वारा निगरानी मीमो में अंकित तथ्यो अनुसार ग्राम पंचायत जगतपुरा द्वारा निगरानीकारान की खातेदारी कृषि भूमि में से गैर निगरानीकार को निगरानीधीन पट्टा जारी किया गया। अधिवक्ता राजस्थान आवासन मण्डल द्वारा निगरानीधीन पट्टा अवैध होने एवं नियम विरूद्ध जारी किये जाने का कथन किया गया है एवं साथ ही निगरानीकारान छोट्या, लाली वगै. 33 की खातेदारी कृषि भूमि वर्तमान में राजस्थान आवासन मण्डल द्वारा अवाप्त किया जाना जाहिर किया है। अधिवक्ता राजस्थान आवासन मण्डल द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजात के अवलोकन से स्पष्ट है

अतिरिक्त कलक्टर (प्रथम)
जयपुर

कि निगरानीकारान छोट्या, लाली वगै. 33 की खातेदारी कृषि भूमि राजस्थान आवासन मण्डल द्वारा अवाप्त की जा चुकी है एवं राजस्थान आवासन मण्डल निगरानीकारान छोट्या, लाली वगै. 33 की अवाप्तशुदा भूमि के रिकॉर्डेड खातेदार है तथा वर्तमान में निगरानीकारान की अवाप्तशुदा भूमि पर राज. आवासन मण्डल द्वारा प्रताप नगर आवासीय योजना हेतु सेक्टर–23 के रूप में विकसित किया जाना जाहिर होता है। प्रकरण में ग्राम पंचायत जगतपुरा द्वारा आदेश दिनांक 08.04.1988 से क्षेत्रफल 495 वर्गगज का पट्टा संख्या 11/7/88–89 गैर निगरानीकार मोहनलाल शर्मा के हक में जारी किया गया है। ग्राम पंचायत को बिना सक्षम स्तर से अनुमोदन के 495 वर्गगज क्षेत्रफल का पट्टा दिये जाने का अधिकार नहीं है इससे स्पष्ट होता है कि ग्राम पंचायत द्वारा क्षेत्राधिकार से बाहर जाकर निगरानीधीन पट्टा जारी किया है। पत्रावली पर उपलब्ध निगरानीधीन पट्टे की छायाप्रति के अवलोकन से जाहिर है कि निगरानीधीन पट्टे पर नक्शा नवीस व सचिव के हस्ताक्षर नहीं है जबकि पंचायती राज अधिनियम की धारा 167(2) अनुसार ग्राम पंचायत द्वारा जारी पट्टे पर सरपंच एवं सचिव के संयुक्त हस्ताक्षर होने चाहिए। ग्राम पंचायत द्वारा दिनांक 08.04.1988 को निगरानीधीन पट्टा जारी किया गया एवं निगरानीधीन भूमि तत्समय कृषि भूमि थी एवं ग्राम पंचायत को कृषि भूमि में पट्टा दिये जाने का अधिकार नहीं है। ग्राम पंचायत जगतपुरा का नगर निगम जोन सांगानेर में मर्ज (विलय) हो जाने से ग्राम पंचायत का समस्त रिकॉर्ड नगर निगम जोन सांगानेर में जमा हो गया। नगर निगम जोन सांगानेर में निगरानीधीन पट्टे का रिकॉर्ड अनुपलब्ध है जिससे निगरानीधीन पट्टे की वैधानिकता संदिग्ध प्रतीत होती है। ग्राम पंचायत जगतपुरा द्वारा गैर निगरानीकार मोहनलाल शर्मा के पक्ष में पट्टा जारी किये जाने से पूर्व पंचायत राज अधिनियम में निहित नियमों की पालन किया जाना जाहिर नहीं होता है।

फलस्वरूप निगरानीकर्ता राजस्थान आवासन मण्डल एवं निगरानीकर्ता छोट्या, लाली वगै. 33 जरिये मुख्त्यारआम मधु यादव द्वारा प्रस्तुत निगरानी स्वीकार की जाती है तथा ग्राम पंचायत जगतपुरा, पंचायत समिति सांगानेर द्वारा पारित निर्णय दिनांक 08.04.1988 द्वारा मोहनलाल शर्मा पुत्र श्री रामप्रताप शर्मा जाति ब्राहम्ण निवासी ग्राम टीलावाला, तहसील सांगानेर के पक्ष में जारी पट्टा संख्या 11/7/88–89 निरस्त किया जाता है। निर्णय की प्रमाणित प्रति उपायुक्त नगर निगम जोन सांगानेर को पालनार्थ भिजवाई जावे। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम की जाकर बाद तामील तकमील दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 17.05.2022 को सरे इजलास सुनाया गया।

(दिनेश कुमार शर्मा)
अति. कलक्टर–प्रथम,
जयपुर

कि निगरानीकारान छोट्या, लाली वगै. 33 की खातेदारी कृषि भूमि राजस्थान आवासन मण्डल द्वारा अवाप्त की जा चुकी है एवं राजस्थान आवासन मण्डल निगरानीकारान छोट्या, लाली वगै. 33 की अवाप्तशुदा भूमि के रिकॉर्डेड खातेदार है तथा वर्तमान में निगरानीकारान की अवाप्तशुदा भूमि पर राज. आवासन मण्डल द्वारा प्रताप नगर आवासीय योजना हेतु सेक्टर–23 के रूप में विकसित किया जाना जाहिर होता है। प्रकरण में ग्राम पंचायत जगतपुरा द्वारा आदेश दिनांक 08.04.1988 से क्षेत्रफल 495 वर्गगज का पट्टा संख्या 11/7/88–89 गैर निगरानीकार मोहनलाल शर्मा के हक में जारी किया गया है। ग्राम पंचायत को बिना सक्षम स्तर से अनुमोदन के 495 वर्गगज क्षेत्रफल का पट्टा दिये जाने का अधिकार नहीं है इससे स्पष्ट होता है कि ग्राम पंचायत द्वारा क्षेत्राधिकार से बाहर जाकर निगरानीधीन पट्टा जारी किया है। पत्रावली पर उपलब्ध निगरानीधीन पट्टे की छायाप्रति के अवलोकन से जाहिर है कि निगरानीधीन पट्टे पर नक्शा नवीस व सचिव के हस्ताक्षर नहीं है जबकि पंचायती राज अधिनियम की धारा 167(2) अनुसार ग्राम पंचायत द्वारा जारी पट्टे पर सरपंच एवं सचिव के संयुक्त हस्ताक्षर होने चाहिए। ग्राम पंचायत द्वारा दिनांक 08.04.1988 को निगरानीधीन पट्टा जारी किया गया एवं निगरानीधीन भूमि तत्समय कृषि भूमि थी एवं ग्राम पंचायत को कृषि भूमि में पट्टा दिये जाने का अधिकार नहीं है। ग्राम पंचायत जगतपुरा का नगर निगम जोन सांगानेर में मर्ज (विलय) हो जाने से ग्राम पंचायत का समस्त रिकॉर्ड नगर निगम जोन सांगानेर में जमा हो गया। नगर निगम जोन सांगानेर में निगरानीधीन पट्टे का रिकॉर्ड अनुपलब्ध है जिससे निगरानीधीन पट्टे की वैधानिकता संदिग्ध प्रतीत होती है। ग्राम पंचायत जगतपुरा द्वारा गैर निगरानीकार मोहनलाल शर्मा के पक्ष में पट्टा जारी किये जाने से पूर्व पंचायत राज अधिनियम में निहित नियमों की पालन किया जाना जाहिर नहीं होता है।

फलस्वरूप निगरानीकर्ता राजस्थान आवासन मण्डल एवं निगरानीकर्ता छोट्या, लाली वगै. 33 जरिये मुख्त्यारआम मधु यादव द्वारा प्रस्तुत निगरानी स्वीकार की जाती है तथा ग्राम पंचायत जगतपुरा, पंचायत समिति सांगानेर द्वारा पारित निर्णय दिनांक 08.04.1988 द्वारा मोहनलाल शर्मा पुत्र श्री रामप्रताप शर्मा जाति ब्राहम्ण निवासी ग्राम टीलावाला, तहसील सांगानेर के पक्ष में जारी पट्टा संख्या 11/7/88–89 निरस्त किया जाता है। निर्णय की प्रमाणित प्रति उपायुक्त नगर निगम जोन सांगानेर को पालनार्थ भिजवाई जावे। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम की जाकर बाद तामील तकमील दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 17.05.2022 को सरे इजलास सुनाया गया।

(दिनेश कुमार शर्मा)
अति. कलक्टर–प्रथम,
जयपुर